न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–छतरपुर

R- 3996- II/12

1– बृजकिशोर दुबे पुत्र श्री पृथ्वीलाल दुबे
2– प्रेमनारायण दुबे पुत्र मुन्नीलाल दुबे
निवासीगण– ग्राम सोंरा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
3– उर्मिला पाठक पत्नी भागीरथ प्रसाद पाठक
निवासी– ग्राम सोंरा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
हाल निवासी– टोरिया मौहल्ला वार्ड नं. 6 साहू मार्ग तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
.... आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 22.11.12 को प्रस्तुत
क्लर्क
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

लखनलाल दुबे पुत्र स्व. श्री बैजनाथ दुबे,
निवासी– ग्राम सोंरा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
.... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ–6–अ/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

22/11/12

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है:–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम सोंरा में स्थित भूमि खसरा नं. 1379 रकवा 3.18 हेक्टेयर के सम्बन्ध में अनावेदक द्वारा तहसीलदार छतरपुर के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पिता श्री बैजनाथ पुत्र छिमाधर ब्राह्मण के नाम संवत 2011 से निरन्तर दर्ज रहा है तथा स्पष्ट लेख एवं संवत 2026 से उसके पिता के नाम भूमि स्वत्व पर लगातार सन् 1993–94 तक दर्ज रहा। बाद के वर्षों में उसके पिता का स्वर्गवास हो जाने से वह नाम दर्ज कराने का पात्र व्यक्ति है इसलिये हकदार के रूप में लिपिकीय त्रुटि सुधार की जाकर अभिलेख सुधार किये जाने के आदेश पारित किये जायें।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3996–दो/2012 जिला–छतरपुर

बृजकिशोर दुबे आदि विरूद्ध लखनलाल दुबे

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील छतरपुर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अ–6–अ/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 21–08–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/3/19	